जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : प–2(ई.सी.214)/जविप्रा/जे.सी.(एस.एम.)/2017/डी– 1226 दिनांक : 12.9.2017

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 214वीं बैठक दिनांक 07.09.2017 का कार्यवाही विवरण

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
1.	214.1	कार्यकारी समिति की 213वीं बैठक दिनांक 30.08.2017 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	कार्यकारी समिति की 213वीं बैठक दिनांक 30.08.2017 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।	
2.	214.2	कार्यकारी समिति की 213वीं बैठक दिनांक 30.08.2017 में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	कार्यकारी समिति की 213वीं बैठक दिनांक 30.08.2017 में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए।	
3.	214.3	Ex-post facto approval of the tender for the work "Total Station Survey work in JDA Region, JDA, Jaipur"	विचार–विमर्श पश्चात "Total Station Survey work in JDA Region, JDA, Jaipur" के लिए निविदा का अनुमोदन 60 दिवस उपरान्त किए जाने के कारण राजस्थान लोक उपापन के पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा के सम्बन्ध में न्यूनतम दरदाता मैसर्स हाईवे इन्जीनियरिंग कन्सल्टेंट्स के पक्ष में पूर्व में लिए गए निर्णय की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	अधिशाषी अभियंता (सर्वे)

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
4.	214.4	Consultancy for landscape Designing of Landscape Project in JDA Region (Airport Road - Terminal-2 to Jawahar Circle, Hanger Road to Jawahar Circle, JLN Marg-Jawahar Circle to Ramniwas Bagh)	विचार–विमर्श पश्चात "Landscape Designing of Landscape Project in JDA Region (Airport Road - Terminal-2 to Jawahar Circle, Hanger Road to Jawahar Circle, JLN Marg-Jawahar Circle to Ramniwas Bagh)." के कार्य के लिए परियोजना की लागत (Project cost) की 3% राशि मैसर्स डॉ. राजीव खन्ना रेस्टोरेशन कन्ज़र्वेशन एण्ड लैण्डस्कैप आर्किटेक्ट्स को कन्सल्टेन्सी राशि के रूप में भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	वन संरक्षक
5.	214.5	Consultancy for Landscape Designing of Landscape Project in JDA Region (Ramniwas Bagh).	विचार–विमर्श पश्चात " Landscape Designing of Landscape Project in JDA Region (Ramniwas Bagh)." के कार्य के लिए परियोजना की लागत (Project cost) की 2.85% राशि मैसर्स प्रदीप सचदेवा को कन्सल्टेन्सी राशि के रूप में भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	वन संरक्षक
6.	214.6	Consultancy for Landscape Designing of Landscape Project in JDA Region (Nehru Balodhyan)	विचार–विमर्श पश्चात " Landscape Designing of Landscape Project in JDA Region (Nehru Balodhyan)." के कार्य के लिए परियोजना की लागत (Project cost) की 3% राशि मैसर्स डॉ. राजीव खन्ना रेस्टोरेशन कन्ज़र्वेशन एण्ड लैण्डस्कैप आर्किटेक्ट्स को कन्सल्टेन्सी राशि के रूप में भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	वन संरक्षक
7.	214.7	Consultancy for Landscape Designing of Landscape Project in JDA Region (Jagatpura Road - Jawahar circle to Jagatpura ROB, Balaji Mod to Apex circle).	विचार–विमर्श पश्चात " Landscape Designing of Landscape Project in JDA Region (Jagatpura Road - Jawahar circle to Jagatpura ROB, Balaji Mod to Apex circle)." के कार्य के लिए परियोजना की लागत (Project cost) की	वन संरक्षक

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			2.85% राशि मैसर्स प्रदीप सचदेवा को कन्सल्टेन्सी राशि के रूप में भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	
अन्य बिन्दु आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTARY AGENDA)				
8.	214.8	Consultancy for Landscape Designing of Landscape Project in JDA Region (Gandhi Circle to Apex Circle).	विचार–विमर्श पश्चात "Landscape Designing of Landscape Project in JDA Region (Gandhi Circle to Apex Circle)." के कार्य के लिए परियोजना की लागत (Project cost) की 2.89% राशि मैसर्स जैन एसोसिएट्स को कन्सल्टेन्सी राशि के रूप में भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	वन संरक्षक
9.	214.9	Consultancy for Landscape Designing of Landscape Project in JDA Region (Central Park).	विचार–विमर्श पश्चात " Landscape Designing of Landscape Project in JDA Region (Central Park)." के कार्य के लिए परियोजना की लागत (Project cost) की 2.95% राशि मैसर्स जूरोन्ग कन्सलटेंट्स इण्डिया प्रा. लि. को कन्सल्टेन्सी राशि के रूप में भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	वन संरक्षक
10.	214.10	Consultancy for Landscape Designing of Landscape Project in JDA Region (Vidyadhar Nagar-Alka Cinema to Swarn Jayanti garden).	विचार–विमर्श पश्चात " Landscape Designing of Landscape Project in JDA Region (Vidyadhar Nagar-Alka Cinema to Swarn Jayanti garden)." के कार्य के लिए परियोजना की लागत (Project cost) की 2.71% राशि मैसर्स जैन एसोसिएट्स को कन्सल्टेन्सी राशि के रूप में भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	वन संरक्षक
11.	214.11	Consultancy for Landscape Designing of Landscape Project in JDA Region (Birla Mandir to Rambagh Circle, Rambagh Circle to Civil lines, Vidhan Sabha to Statue Circle, Gandhi Circle to Tonk Road).	विचार–विमर्श पश्चात " Landscape Designing of Landscape Project in JDA Region (Birla Mandir to Rambagh Circle, Rambagh Circle to Civil lines, Vidhan Sabha to Statue Circle,	वन संरक्षक

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			Gandhi Circle to Tonk Road)." के कार्य के लिए परियोजना की लागत (Project cost) की 2.95% राशि मैसर्स जूरोन्ग कन्सलटेंट्स इण्डिया प्रा. लि. को कन्सल्टेन्सी राशि के रूप में भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	
12.	214.12	आवास संख्या सी–18 योजना पालड़ीमीणा के नियमितीकरण के सम्बन्ध में।	राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में आवासीय/व्यवसायिक समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु ''मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना'' बाबत दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक प. 2(30)/नविवि/3/2016–पार्ट/ 1516–30 दिनांक 25.04.2017 के बिन्दु संख्या 21 में यह प्रावधान है कि ई.डब्ल्यू.एस. /एल.आई.जी./60 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों/आवासों के आवंटन की राशि समय पर जमा नहीं होने के कारण निरस्त भूखण्डों/आवासों का नियमितीकरण राज्य सरकार के स्थान पर नगरीय निकायों द्वारा ही किया जा सकेगा। अतः उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 21 के अनुसरण में आवास संख्या सी–18 योजना पालड़ीमीणा की नजराना राशि 2 वर्ष से अधिक अवधि तक जमा नहीं कराये जाने पर नियमितीकरण किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड	उपायुक्त जोन–10

सचिव,
नगर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	
13.	214.13	आवास संख्या सी–273 योजना पालडीमीणा के नियमितीकरण के सम्बन्ध में।	राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में आवासीय/व्यवसायिक समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु ''मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना'' बाबत दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक प. 2(30)/नविवि/3/2016–पार्ट/ 1516–30 दिनांक 25.04.2017 के बिन्दु संख्या 21 में यह प्रावधान है कि ई.डब्ल्यू.एस. /एल.आई.जी./60 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों/आवासों के आवंटन की राशि समय पर जमा नहीं होने के कारण निरस्त भूखण्डों/आवासों का नियमितीकरण राज्य सरकार के स्थान पर नगरीय निकायों द्वारा ही किया जा सकेगा। अतः उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 21 के अनुसरण में आवास संख्या सी–273 योजना पालड़ीमीणा की नज़राना राशि 2 वर्ष से अधिक अवधि तक जमा नहीं कराये जाने पर नियमितीकरण किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	उपायुक्त जोन–10

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
14.	214.14	आवास संख्या सी–587 योजना पालडीमीणा के नियमितीकरण के सम्बन्ध में।	राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में आवासीय/व्यवसायिक समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु ''मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना'' बाबत दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक प. 2(30)/नविवि/3/2016–पार्ट/ 1516–30 दिनांक 25.04.2017 के बिन्दु संख्या 21 में यह प्रावधान है कि ई.डब्ल्यू.एस. /एल.आई.जी./60 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों/आवासों के आवंटन की राशि समय पर जमा नहीं होने के कारण निरस्त भूखण्डों/आवासों का नियमितीकरण राज्य सरकार के स्थान पर नगरीय निकायों द्वारा ही किया जा सकेगा। अतः उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 21 के अनुसरण में आवास संख्या सी–587 योजना पालड़ीमीणा की नज़राना राशि 2 वर्ष से अधिक अवधि तक जमा नहीं कराये जाने पर नियमितीकरण किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	उपायुक्त जोन–10
15.	214.15	आवास संख्या सी–459 योजना पालड़ीमीणा के नियमितीकरण के	राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में आवासीय/व्यवसायिक समस्याओं के	उपायुक्त जोन–10

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		सम्बन्ध में।	त्वरित समाधान हेतु ''मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना'' बाबत दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक प. 2(30)/नविवि/3/2016-पार्ट/ 1516-30 दिनांक 25.04.2017 के बिन्दु संख्या 21 में यह प्रावधान है कि ई.डब्ल्यू.एस. /एल.आई.जी./60 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों/आवासों के आवंटन की राशि समय पर जमा नहीं होने के कारण निरस्त भूखण्डों/आवासों का नियमितीकरण राज्य सरकार के स्थान पर नगरीय निकायों द्वारा ही किया जा सकेगा। अतः उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 21 के अनुसरण में आवास संख्या सी-459 योजना पालड़ीमीणा की नज़राना राशि 2 वर्ष से अधिक अवधि तक जमा नहीं कराये जाने पर नियमितीकरण किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	
16.	214.16	आवास संख्या सी-443 योजना पालडीमीणा के नियमितीकरण के सम्बन्ध में।	राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में आवासीय/व्यवसायिक समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु ''मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना'' बाबत दिशा-निर्देश	उपायुक्त जोन-10

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			के सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक प. 2(30)/नविवि/3/2016–पार्ट/ 1516–30 दिनांक 25.04.2017 के बिन्दु संख्या 21 में यह प्रावधान है कि ई.डब्ल्यू.एस. /एल.आई.जी./60 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों/आवासों के आवंटन की राशि समय पर जमा नहीं होने के कारण निरस्त भूखण्डों/आवासों का नियमितीकरण राज्य सरकार के स्थान पर नगरीय निकायों द्वारा ही किया जा सकेगा। अतः उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 21 के अनुसरण में आवास संख्या सी–443 योजना पालडीमीणा की नज़राना राशि 2 वर्ष से अधिक अवधि तक जमा नहीं कराये जाने पर नियमितीकरण किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	
17.	214.17	जविप्रा की आवासीय योजना रोहिणी एनक्लेव के भूखण्ड सं. बी–693 के नियमितीकरण करने बाबत।	राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में आवासीय/व्यवसायिक समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु ''मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना'' बाबत दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक प. 2(30)/नविवि/3/2016–पार्ट/ 1516–30	उपायुक्त जोन–14

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			दिनांक 25.04.2017 के बिन्दु संख्या 21 में यह प्रावधान है कि ई.डब्ल्यू.एस. /एल.आई.जी./60 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों/आवासों के आवंटन की राशि समय पर जमा नहीं होने के कारण निरस्त भूखण्डों/आवासों का नियमितीकरण राज्य सरकार के स्थान पर नगरीय निकायों द्वारा ही किया जा सकेगा। अतः उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 21 के अनुसरण में जविप्रा की आवासीय योजना रोहिणी एनक्लेव के भूखण्ड सं. बी–693 की नज़राना राशि 2 वर्ष से अधिक अवधि तक जमा नहीं कराये जाने पर नियमितीकरण किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	
18.	214.18	जविप्रा की बक्सावाला योजना में निर्मित बॉम्बे आवास सं. एफ–231 का आवंटन बहाल/ नियमितीकरण बाबत।	राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में आवासीय/व्यवसायिक समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु ''मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना'' बाबत दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक प. 2(30)/नविवि/3/2016–पार्ट/ 1516–30 दिनांक 25.04.2017 के बिन्दु संख्या 21 में यह प्रावधान है कि ई.डब्ल्यू.एस.	उपायुक्त जोन–14

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			/एल.आई.जी./60 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों/आवासों के आवंटन की राशि समय पर जमा नहीं होने के कारण निरस्त भूखण्डों/आवासों का नियमितीकरण राज्य सरकार के स्थान पर नगरीय निकायों द्वारा ही किया जा सकेगा। अतः उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 21 के अनुसरण में जविप्रा की बक्सावाला योजना में निर्मित बॉम्बे आवास सं. एफ–231 की नज़राना राशि 2 वर्ष से अधिक अवधि तक जमा नहीं कराये जाने पर नियमितीकरण किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	
19.	214.19	निजी खातेदारी की योजनाओं में आन्तरिक विकास कार्यों के पेटे रहन में रखे गये 12.5 प्रतिशत के क्षेत्रफल के भूखण्डों के रहन मुक्ति के सम्बन्ध में।	निजी खातेदारी की योजनाओं में आन्तरिक विकास कार्यों के पेटे रहन में रखे गये 12.5 प्रतिशत के क्षेत्रफल के भूखण्डों के रहन मुक्ति के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किया गया। विचार–विमर्श के दौरान यह तथ्य सामने आए कि निजी खातेदारी की योजनाओं में विकास कार्य के बदले रहन रखे जाने वाले 12.5 प्रतिशत भूखण्डों को रहनमुक्त करने के लिए वर्तमान में प्रचलित	उपायुक्त जोन–12

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			नियमों के अनुरूप बिजल, पानी, सड़क, सीवर एवं पार्क का कार्य पूर्ण होने पर कमेटी की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर भूखण्डों को रहनमुक्त किए जाने का प्रावधान है। किन्तु पेयजल सम्बन्धी विकास कार्य में जलदाय विभाग की अनापत्ति शामिल नहीं होने तथा पेयजल आपूर्ति की दीर्घकालिक योजना नहीं होने से पेयजल एवं सीवर सम्बन्धी शाखा का कार्य अपूर्ण होने से शेष विकास कार्य यथा– बिजली, सड़क एवं पार्क पूर्ण होने के बाद भी रहन रखे गए 12.5 प्रतिशत भूखण्ड रहनमुक्त नहीं किए जा रहे हैं। उक्त समस्त तथ्यों पर विचार–विमर्श पश्चात निजी खातेदारी योजनाओं में विकासकर्ता द्वारा विकास के पेटे रहन रखे गए 12.5% भूखण्डों को निर्धारित विकास कार्य जैसे सड़क, पानी, सीवर, बिजली एवं पार्क में क्रमशः 3%, 3%, 3%, 3% एवं 1/2% के आनुपातिक विभाजन किया जाकर पूर्ण हो चुके विकास कार्यों की सीमा तक रहनमुक्त करने के प्रस्ताव के साथ टाउनशिप पॉलिसी में बदलाव के लिए राज्य सरकार को प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।	
20.	214.20	ट्रांसपोर्ट नगर योजना में प्रथम चरण की लॉटरी में आवंटन से शेष मामलों में ली जाने वाली दर को निर्धारण	विचार–विमर्श पश्चात ट्रांसपोर्ट नगर योजना में प्रथम चरण की लॉटरी में आवंटन से शेष मामलों में आवेदन–पत्र	उपायुक्त जोन–13

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
		करवाने बाबत।	जमा करवाने की तिथि से ब्याज लिए जाने के निर्देश प्रदान किए गए।	
अन्य बिन्दु		निदेशक अभियांत्रिकी–प्रथम ने यह अवगत कराया कि महत्वपूर्ण परियोजनाओं में भुगतान माह में अधिकतम एक ही बार किया जाता है, जिससे परियोजना में गति नहीं आ पाती।	विचार–विमर्श पश्चात यह निर्णय लिया गया कि महत्वपूर्ण परियोजनाओं में भुगतान माह में अधिकतम एक बार के स्थान पर दो बार किया जावे।	निदेशक (वित्त)

(एच. गुप्ता)
सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 214वीं बैठक दिनांक 07.09.2017 को अपरान्ह 01:00 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभाकक्ष 'मंथन' में श्री वैभव गालरिया, जयपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

क्र. सं.	नाम सदस्य/अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
1.	श्री वैभव गालरिया	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2.	श्री एच. गुईटे	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
3.	श्री एन. सी. माथुर	निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
4.	श्रीमती लवंग शर्मा	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5.	श्री बृजेश कुमार	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
6.	श्री रमेश कुमार आर्य	सहायक विधि परार्मशी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
7.	श्री प्रदीप मोंगा	अति. पुलिस उपायुक्त मुख्यालय	पुलिस आयुक्तालय, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
8.	श्री कमल के पारीक	महाप्रबन्धक जयपुर जोन	राज. राज्य पथ परिवहन निगम	सदस्य के प्रतिनिधि
9.	श्री दीपक शर्मा	अधिशाषी आभियंता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित				
10.	श्रीमति आकांक्षा चौधरी	वन संरक्षक	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
11.	श्री ओ.पी. बुनकर	अति. आयुक्त (प्रशासन)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
12.	श्री बी. सी. गंगवाल	उपायुक्त जोन-13	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
13.	श्री सुरेन्द्र सिंह यादव	उपायुक्त जोन-14	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
14.	श्री राजकुमार सिंह	उपायुक्त जोन-12	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15.	श्री एस. पी. भादू	वरिष्ठ उद्यानविज्ञ	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16.	श्री हरिशंकर	अधीक्षण अभियन्ता-(सर्वे)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17.	श्री देवेन्द्र गुप्ता	अधीक्षण अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18.	श्री महेश गोयल	अधिशाषी अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19.	श्रीमती ऊषा जैन	विशेषाधिकारी (पी.आर.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प–2(ई.सी.214)/जविप्रा/जे.सी.(एस.एम.)/2017/डी– 1226 दिनांकः 12.9.2017

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न हैः-

क.स.	पद	विभाग का नाम
1	विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	अतिरिक्त मुख्य सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
5	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
6	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
7	जिला कलक्टर	जिला कलक्ट्रेट, जयपुर।
8	पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय)	पुलिस आयुक्तालय, जयपुर।
9	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
10	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग,जयपुर।
11	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
12	मुख्य अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर।
13	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14	निदेशक (अभियांत्रिकी–प्रथम/द्वितीय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
15	निदेशक (नगर आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
16	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
17	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/पुनर्वास/एल.पी.सी./भूमि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
18	संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेन्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19	उपायुक्त जोन.....	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	सिस्टम एनालिस्ट	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21	सहायक निदेशक (जन–सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर